न्यायालयः– सदस्य, द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
वारासिवनी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)
(समक्ष : श्रीमती कविता इवनाती)

मोटर दुर्घटना दावा क्र. 45/2020
ई–फाईलिंग नंबर–263/202063
सी.एन.आर.नं. 5006001687/2020
संस्थित दिनांकः 15.12.2020

1– **धुर्वन्ताबाई पत्नी तुलसीराम उम्र 49 वर्ष**
2.– **काशीलाल पिता तुलसीराम उम्र 30 वर्ष**
3– **गायत्री पिता तु लसीराम उम्र 26 वर्ष**
तीनों निवासी–ग्राम नवेगांव(3), तहसील खैरलांजी
जिला बालाघाट म.प्र. ——— **आवेदकगण**

–बनाम–

1– **युवराज दशहरे पिता यादोराव उम्र 35 वर्ष(वाहन स्वामी)**
निवासी ग्राम भेण्डारा तहसील खैरलांजी
जिला बालाघाट म.प्र.
2– **योगराज दशहरे पिता यादोलाल उम्र 25 वर्ष (वाहन चालक)**
निवासी ग्राम भेण्डारा, तहसील खैरलांजी
जिला बालाघाट म.प्र. ————**अनावेदकगण**

आवेदकगण द्वारा –श्री लोक डोंगरे अधिवक्ता।
अनावेदकगण द्वारा –श्री सलीम परवेज अधिवक्ता।

।। अधिनिर्णय ।।

(आज दिनांक : 14.08.2026 को पारित)

1. आवेदकगण ने धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दुघ्र्टना के परिणाम स्वरूप आवेदक क्र.1 के पति एवं आवेदक क्र. 2 व 3 के पिता तुलसीराम की मृत्यु हो जाने के परिणाम स्वरूप 26,00,000/— (छब्बीस लाख) रूपये अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक—पृथक क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया हैं।

2. आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र सारांशतः संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 8.6.2020 को मृतक तुलसीराम ग्राम बिटोड़ी थाना रामपायली जिला बालाघाट के अन्तर्गत मेनरोड नाले के पास शाम करीब 5.00 बजे भैंस चराने गया था। उसी समय अनावेदक क्र.1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 50 एम.डी. 1073 को अनावेदक क्र.2 द्वारा तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया गया और तुलसीराम को ठोस मार दिया, जिस कारण तुलसीराम के सिर एवं शरीर के अन्य भागों में चोटें आई। तुलसीराम को उपचार हेतु आरोग्य हॉस्पिटल बालाघाट ले जाया गया, जहां से उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई। जिस पर दिनांक 9.6.2020 को सेन्ट्रल हॉस्पिटल गोंदिया ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी दिनांक 19.6.2020 को मृत्यु हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना रामपायली में लेख कराई गई। उक्त घटना घटित होते हुए मौके पर साक्षी दीनानाथ, नेतलाल आदि लोगों ने देखा था। मृतक 53 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति था जो कृषि एवं पशुपालन का कार्य कर प्रतिमाह 9000/—रूपये आय अर्जित करता था और परिवार का भरण पोषण करता था। दुर्घटना के कारण तुलसीराम की मृत्यु हो जाने से आवेदिका क्र.1 पत्नी सुख से एवं आवेदक क्र. 2 व 3 पिता के सुख से वंचित हो गये हैं। अतः आवेदकगण ने अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक—पृथक रूप से तुलसीराम की मृत्यु के परिणाम स्वरूप 36,00,000/—रूपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. अनावेदक क्र.1 व 2 ने आवेदकगण का जवाब प्रस्तुत कर समस्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब के विशिष्ट कथन में यह लेख किया है कि दुर्घटना दिनांक 9.6.2020 को किसी अज्ञात वाहन से तुलसीराम नामक व्यक्ति के साथ दुर्घटना कारित की गई है, जो घायल अवस्था में सड़क

पर पड़ा हुआ था जिसे अनावेदकगण के एक रिश्ते के भाई धनेन्द्र दशहरे द्वारा वारासिवनी से अपने ग्राम भेंडारा के मित्रों के साथ लौटते समय मानवीय आधार पर उसकी जान बचाने के आशय से जिला चिकित्सालय बालाघाट पहुंचाने में सहयोग किया गया और उसे भर्ती कराया गया था। उक्त दुर्घटना के समय उपरोक्त वर्णित वाहन योगराज द्वारा नहीं चलाया जा रहा था और न ही अनावेद क्र.1 के वाहन क्रमांक एम.पी. 50 एम.डी. 1073 से कारित की गई है। थाना रामपायली के प्रधान आरक्षक दादूराम पटले से आवेदकगण के मधुर संबंध होने के कारण एवं मोटर दुर्घटना में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये झूठा आपराधिक प्रकरण तैयार कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किये गये हैं। जिसकी शिकायत अनावेदक क्र.1 द्वारा पुलिस अधीक्षक बालाघाट, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वारासिवनी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली एवं राज्य मानवाधिकार आयोग भोपाल को की गई थी। उक्त शिकायतों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस वारासिवनी ने पुलिस अधीक्षक बालाघाट के निर्देश पर दिनांक 7.9.2020 को अनावेदक क्र.1 को सूचना पत्र प्रेषित कर दिनांक 12.9.2020 को अनावेदक क्र.1 के कथन लेखबद्ध किये, जिस पर म.प्र. राज्य मानवाधिकार आयोग के पत्र क्र. 24261 दिनांक 7.11.2020 के द्वारा पुलिस अधीक्षक बालाघाट को समुचित कार्यवाही के निर्देश दिये गये है, जिसकी जांच वर्तमान में चल रही है।

4. अनावेदकगण ने अपने जवाब में यह भी लेख किया है कि अनावेदक क्र.1 के द्वारा, थाना रामपायली के प्रधान आरक्षक दादूराम पटले के विरूद्ध, अनावेदक क्र. 1 व 2 को दुर्घटना में संलिप्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने एवं आवेदकगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने के आशय से अपराध पंजीबद्ध करने के आधार पर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वारासिवनी के न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दुर्घटना दावा में वाहन की बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वास्तविक घ टना दिनांक 9.8.2020 को उक्त वाहन बीमा कंपनी में बीमाकृत था। इस प्रकार प्रकरण में कुसंयोजन की बाधा भी विद्यमान है। आवेदकगण की जानकारी अनुसार मृतक तुलसीराम 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होकर निःशक्त व्यक्ति था तथा कोई कार्य नहीं करता था, अपितु सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करता था। अनावेदक क्र. 1 व 2 स्वस्थ है एवं स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम है तथा अनावेदक क्र.3 गायत्री का

विवाह हो चुका है। जानकारी अनुसार तुलसीराम को सिर पर किसी प्रकार की चोट नहीं थी, बल्कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसके पैर में चोट आई थी, जबकि उसका उपचार सिर की चोट का किया गया है। इस प्रकार आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दावा झूठा एवं निराधार होने के कारण निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

5. उभय पक्षों अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किये गये है। जिनके संबंध में निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित हैं –

क्र.	वादप्रश्न		निष्कर्ष
1	क्या अनावेदक क्र.1 ने, अनावेदक क्र.2 के स्वामित्व के वाहन मोटरसाईकिल हीरो होण्डा क्र.एम.पी. 50 एम.डी. 1073 को थाना रामपायली अन्तर्गत ग्राम बिटोड़ी में मेन रोड नाले के पास दुर्घटना दिनांक 8.6.2020 को शाम करीब 5.00 बजे तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए दुर्घटना कारित की?	–	**''प्रमाणित''**
2	क्या उक्त दुर्घटना के परिणाम स्वरूप तुलसीराम डहारे को ठोस मारने से आई चोटों के कारण उसकी मृत्यु कारित हुई?	–	**''प्रमाणित''**
3	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से दुर्घटना प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हां तो किससे व कितनी?	–	**''आवेदिका क्र.1, अना. क्र. 1 व 2 से प्रतिकर राशि 10,05,594/– तथा उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पाने का हकदार है।''**
4	सहायता एवं व्यय?		**''दावा अंशतःस्वीकार कंडिका 30 अनुसार''**

निष्कर्ष के आधार

वादप्रश्न क्र. 1 एवं 2 का निराकरणः–

6. उपरोक्त दोनों प्रकरण के दोनों वादप्रश्नों को एक ही साक्ष्य श्रृंखला से संबद्ध होने के कारण विवेचना की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को अपवर्जित करने के उद्देश्य से एक साथ विचार में लिया जा रहा है।

7. इस तथ्य को प्रमाणित करने का भार आवेदकगण पर है कि दुर्घटना के समय वाहन चालक अनावेदक क.2 द्वारा अनावेदक क.1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की मोटरसाईकिल क. एम.पी. 50 एम.डी. 1073 को लोक मार्ग पर पर उपेक्षा एवं उतावलेपूर्ण ढंग से चलाकर मृतक तुलसीराम को ठोस मारकर उसकी मृत्यु कारित की गई?

8. दुर्घटना के संबंध में मृतक तुलसीराम के पुत्र आवेदक क.2 काशीलाल (आ.सा.1) ने कथित किया है कि दिनांक 8.6.2020 को ग्राम बिटोड़ी और नवेगांव के बीच शाम करीब 5.00 बजे उसके पिता नाले के पास भैंस चरा रहे थे। वाहन चालक योगराज जो नवेगाव से बिटोड़ी की ओर जा रहा था, वाहन को लापरवाही पूर्व चलाकर उसके पिता को ठोस मार दिया जिससे वे गिर गये। घटना के समय नेतलाल और दीनानाथ ने घटना देखा था। उन्होंने उसे सूचना दी तब वह घटना स्थल पर गया था। उसने देखा कि उसके पिता नाले के पास रोड के किनारे पड़े थे। उसके पिता को ईलाज हेतु बालाघाट अस्पताल ले गये, जहां उसके पिता का ईलाज हुआ। उसके पिता को सिर और पैर में चोट थी। उसके पिता को उपचार के दौरान गोंदिया रेफर कर दिया गया। उसके पिता को उन्होंने बजाज अस्पताल ले गये, जहां 10—12 दिन तक उपचार चला और उपचार के दौरान 19 या 20.6.2020 को उसके पिता की मृत्यु हो गई।

9. आवेदक काशीलाल (आ.सा.1) ने यह भी कथित किया है कि उसने अपने पक्ष समर्थन में अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए—1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए—2, अपराध विवरण प्रदर्श ए—3, मर्ग इंटिमेशन प्रदर्श ए—4, मर्ग खबरी प्रदर्श ए—5, संपत्ति जप्तीपत्रक प्रदर्श ए—6, मर्ग डायरी प्रदर्श ए—7, पी.एम. रिपोर्ट प्रदर्श ए—8 तथा उपचार के बिल प्रदर्श ए—9 लगायत 152, थाना रामपायली की अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीयन प्रदर्श ए—153, मर्ग खबरी प्रदर्शए—154, सेन्ट्रल हास्पिटल गोंदिया की एम.एल.सी. प्रदर्श ए—155, शव सुपूर्द करने की सूचना प्रदर्श ए—156, डयूटी प्रमाणपत्र प्रदर्श ए—157, मृत्यु प्रमाणपत्र मिलने हेतु आवेदन पत्र प्रदर्श ए—158, सेन्ट्रल हॉस्पिटल द्वारा दिया

गया प्रमाणपत्र प्रदर्श ए–159, पावती प्रदर्श ए–160, पी.एम. के लिये दिया गया आवेदन प्रदर्श ए–161 एवं तहरीर प्रदर्श ए– 62 प्रस्तुत किया है।

10. आवेदकगण की ओर से घटना के साक्षी के रूप में नेतलाल (आ.सा.2) की साक्ष्य प्रस्तुत की है, जिसने कथित किया है कि मृतक तुलसीराम उनके गांव का निवासी है। आवेदकगण भी उनके गांव के निवासी हैं। घटना दिनांक 8.6.2020 को ग्राम बिटोड़ी और नवेगांव के बीच नाले के पास मृतक भैंस चरा रहा था। ग्राम डोंगरमाली की ओर से एक मोटरसाईकिल तेजगति एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए अनावेदक आया और तुलसीराम को ठोस मार दिया, जिससे चालक की मेाटरसाईकिल बंधी में गिर गई। उस समय वह भी मोटरसाईकिल से पीछे–पीछे आ रहा था। मोटरसाईकिल का नंबर एम.पी. 50 एम.डी. 1073 था। घटना के समय गाड़ी चालक को वह चेहरे से जानता था, जो ग्राम भेण्डारा का निवासी है। उसने तुलसीराम को उठाया, पानी पिलाया और फिर तुलसीराम के परिजन को फोन लगाया तब उसके परिजन घटना स्थल पर आये और तुलसीराम को बालाघाट ले गये। उसके बाद वह अपने घर चला गया। बाद में उसे पता चला कि तुलसीराम की मृत्यु हो गई।

11. इस तरह आवेदकगण ने उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर यह बताया है कि उक्त दुर्घटना अनावेदक क्र.1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की मोटरसाईकिल साईकिल क्रमांक एम.पी. 50 एम.डी. 1073 को तेजगति एंव लापरवाही पूर्वक चलाकर तुलसीराम को ठोस मारकर उपहति कारित करने के कारण उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। इसके विपरीत अनावेदकगण की ओर से अपने जवाब में यह लेख किया गया है कि घटना दिनांक 9.6.2020 की है, तथा किसी अज्ञात वाहन द्वारा मृतक को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की गई है, तथा दुर्घटना के समय मौके पर मोटरसाईकिल नहीं थी।

12. तत्संबंध में अनावेदक क्र.1 युवराज दशहरे (अना.सा.1) ने अभिकथित किया है कि वह वर्ष 2020 में भोपाल, होशंगाबाद रोड पर बिल्डिंग वर्कर के रूप में कार्य कर रहा था। उसका भाई योगराज इन्दौर में ल्यूपिन कंपनी में मजदूरी का कार्य करता था और इन्दौर में ही रहता था। उसके वाहन से, उसके भाई से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। उसे थाने से जानकारी मिली थी, कि उसके भाई के विरूद्ध मोटरसाईकिल से एक्सिडेंट की रिपोर्ट हुई है। उसे बाद उसने पुलिस अधीक्षक बालाघाट को प्रदर्श डी–2, का आवेदन, डाक के माध्यम से एस.पी.बालाघाट एवं अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी तथा

मानवाधिकार आयोग भोपाल एवं नई दिल्ली को प्रदर्श डी–3 लगायत 6 के आवेदन भेजा था। उक्त शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच की गई थी जिसमें उसने प्रदर्शडी–7 का नोटिस भेजा गया था। प्रदर्श डी–8 का पत्र मानवाधिकार आयोग भोपाल से उसे पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

13. युवराज दशहरे (अना.सा.1) ने यह भी अभिकथित किया है कि पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने के कारण उसने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वारासिवनी के न्यायालय में परिवादपत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी आदेश पत्रिका प्रदर्श डी–9 है तथा परिवादपत्र प्रदर्श डी–10, धारा 156 दं.प्र.सं. का आवेदन प्रदर्श ए–11 है। उसने अपने वाहन का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल से प्रदर्श डी–12 का अपने वाहन का बीमा कराया था। बीमा पालिसी जारी करने के 7 दिन पूर्व ही बीमा प्रिमियम की राशि एवं दस्तावेज दिया था। जून 2020 में उसका वाहन उसके पास भोपाल में ही था। उसने गांव में आने पर जानकारी प्राप्त हुई थी कि तुलसीराम नाले के पास गिरा हुआ था उसे उनके गांव के धनेन्द्र एवं अशोक अस्पताल ले जाने में मदद किये थे। तुलसीराम डहाटे की मृत्यु के संबंध में दादूराम पटले थाना प्रभारी ने उनके विरूद्ध झूठा प्रकरण बनाया था, इसलिये उसने दादूराम के विरूद्ध आपराधिक परिवाद पंजीबद्ध किया था। तुलसीराम का रिश्तेदार दीनानाथ पटले गांव का स्थाई पटेल है, जिसने दादूराम पटले के साथ मिलकर एक्सीडेंट का झूठा प्रकरण क्लेम प्राप्त करने के लिये उनके विरूद्ध दर्ज कराया था। उसके एवं उसके भाई योगराज के विरूद्ध पंजीबद्ध दांडिक प्रकरण क्र. 405/2020 चला था जिसमें दिनांक 5.5.2025 को प्रदर्श डी–13 का निर्णय हो चुका है और उन्हें दोषमुक्त किया जा चुका है।

14. अनावेदक के साक्षी अशोक लिल्हारे (अना.सा.2) ने कथित किया है कि घटना दिनांक 9.6.2020 के लगभग 12–12.30 बजे की है। उस समय वह वारासिवनी आ रहा था। उसने देखा कि तुलसीराम नहर के पास नाले के किनारे बैठा हुआथा जिसका पैर फिसलने के कारण वह गिर गया था। उसके पैर में चोट आई थी। फिर उसने तुलसीराम के लड़के को बुलाया और तुलसीराम को सरकारी अस्पताल लेकर गये। उसका कोई रोड एक्सिडेंट नहीं हुआ। मृतक को दुर्घटना में कोई चोट नहीं आई। तुलसीराम को सिर पर कोई चोट नहीं आई थी। केवल पैर में चोट थी। उसने अस्पताल ले जाने में सहयोग

किया था। वह अनावेदक युवराज और योगराज को जानता है। अनावेदक योगराज पितमपुर में प्राईवेट कंपनी में काम करता था और युवराज संभवतः भोपाल में काम करता था। उसके साथ धनेन्द्र, रविन्द्र एवं 3–4 लोग मृतक को अस्पताल ले जाने में और उसके परिवार को सूचना देने में मदद किये थे। उसके साथ अनावेदकगण का भाई धनेन्द्र, मृतक को अस्पताल ले जाने में सहयोग किया था, उसी शक में अनावेदकगण के विरूद्ध झूठा प्रकरण बनाया है।

15. अनावेदकगण की ओर से दुर्घटना दिनांक 8.6.2020 की नहीं होने के संबंध में तथा उनकी मोटरसाईकिल से दुर्घटना कारित नहीं होने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों प्रदर्श डी–1 लगायत 12 का अवलोकन किया गया। अनावेदक क्र.1 युवराज द्वारा मानवाधिकार आयोग भोपाल को प्रेषित की गई शिकायत के आधार पर, मानवाधिकार आयोग भोपाल से प्राप्त सूचना प्रदर्श डी–8 के आधार पर अनावेदक क्र.1 ने प्रधान आरक्षक दादूराम पटले के विरूद्ध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में दिनांक 15.1.2021 को परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें दादूराम पटले के विरूद्ध यह आरोप लगाये गये हैं कि उसके द्वारा दुर्घटना का झूठा प्रकरण बनाया गया है। परिवाद के संबंध में आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी–9 की प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से यह दर्शित है कि वर्तमान अनावेदक क्र.1 द्वारा प्रस्तुत परिवाद अपंजीकृत है, विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 156/3 दं.प्र.सं. का आवेदन पत्र दिनांक 8.3.2021 को इस आधार पर निरस्त किया गया है प्रस्तावित अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के वर्तमान में कोई आधार नहीं है, इस कारण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 156/3 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण धारा 202 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत कथन हेतु दिनांक 8.4.2021 को नियत किया गया है। अनावेदकगण की ओर से दिनांक 8.4.2021 के पश्चात कथित प्रधान आरक्षक दादूराम के विरूद्ध परिवाद में क्या कार्यवाही की गई अथवा परिवाद पंजीबद्ध किया गया, ऐसा कोई प्रमाण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि थाना रामपायली के दादूराम ने झूठी रिपोर्ट लेखबद्ध की थी।

16. अनावेदकगण की ओर से न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वारासिवनवी के न्यायालय में चले दांडिक प्रकरण क्र. 405/2020 में घोषित

निर्णय दिनांक 5.5.2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी–13 की प्रस्तुत की गई है। जिस संबंध में अनावेदक युवराज (अना.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 के दौरान यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–13 में मजिस्ट्रेट साहब ने जो फैसला दिया है, वह घटना दिनांक 8.6.2020 के आधार पर दिया है। उक्त निर्णय के अवलोकन से ऐसा दर्शित नहीं होता कि निर्णय में इस बात का उल्लेख किया गया हो कि मृतक तुलसीराम के पुत्र काशीलाल द्वारा घटना की रिपोर्ट जो लेख कराई गई है, उसमें दुर्घटना दिनांक 8.6.2020 न होकर कोई अन्य दिनांक अथवा दिनांक 9.6.2020 थी तथा लिखाई गई रिपोर्ट अथवा दादूराम द्वारा लेखबद्ध की गई रिपोर्ट झूठी एवं मिथ्या थी, जबकि उक्त निर्णय की कंडिका 11 में विचारण न्यायायल ने यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नेतलाल के कथनों से दुर्घटना दिनांक को वाहन आरोपी योगराज द्वारा ही अर्थात अनावेदक क्र.2 द्वारा ही चलाया जा रहा था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अभियोजन साक्षी नेतलाल को आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन पत्र में भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उल्लेखित करते हुए अपने क्लेम प्रकरण के समर्थन में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी क्र. 2 के रूप में भी प्रस्तुत किया है।

17. आवेदक काशीलाल (आ.सा.1) एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (आ.सा.2) के कथन तथा प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए–2 तथा आरोपी योगराज से जप्त की गई मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 50 एम.डी.1073 के जप्तीपत्रक प्रदर्श ए–6 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि दुर्घटना दिनांक 8.6.2020 की रिपोर्ट मृतक के पुत्र काशीलाल द्वारा दिनांक 9.6.2020 को लेख कराई गई थी तथा अनावेदक क्र.2 योगराज से उक्त वाहन ग्राम भेण्डारा में साक्षियेां के समक्ष जप्त किया गया था। ऐसी स्थिति में अनावेदकगण का यह कहना कि उनका वाहन दुर्घटना के समय घटना स्थल पर नहीं चलाया जा रहा था, निकट संभावनाओं के आधार पर प्रमाणित नहीं होता। इसके विपरीत आवेदकगण की साक्ष्य एवं उपरोक्त की गई विवेचना से यह प्रमाणित होता है कि दुर्घटना दिनांक 8.6.2020 को अनावेदक क्र.2 द्वारा अनावेदक क्र.1 की मोटरसाईकिल क्र. एम.पी. 50 एम.डी. 1073 को मृतक तुलसीराम को ठोस मारी थी।

18. दुर्घटना के परिणाम स्वरूप तुलसीराम की मृत्यु होने के संबंध में दुर्घटना के तत्काल पश्चात तुलसीराम को उपचार हेतु आरोग्य अस्पताल

बालाघाट ले जाया जाना कथित किया गया है। जिस संबंध में आवेदकगण की ओर से प्रदर्श ए–149 का आरोग्य मस्तिस्पेशलिलिटी हॉस्पिटल बालाघाट का उपचार पर्चा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि ''रेफर टू हायर सेन्टर''। जिसकी पुष्टि आवेदक काशीलाल के कथनों से भी होती है। प्रदर्श ए–152 के सी.टी.स्केन रिपोर्ट जो दिनांक 8.6.2020 की है से भी दर्शित होता है कि मृतक तुलसीराम के सिर पर गंभीर स्वरूप की चोट आई थी। सेन्ट्रल हॉस्पिटल गोंदिया द्वारा रामनगर पुलिस स्टेशन गोंदिया को भेजी गई मर्ग सूचना प्रदर्श ए–155 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि मृतक तुलसीराम को उक्त अस्पताल में उपचार हेतु दिनांक 9.6.2020 को भर्ती किया गया था, जिसकी मृत्यु उपचार के दौरान दिनांक 19.6.2020 को हो गई है। प्रदर्श ए–8 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि तुलसीराम की मृत्यु उसके सिर पर आई गंभीर चोटों के परिणाम स्वरूप हुई थी। इसके अतिरिक्त प्रदर्श ए–74 से प्रदर्श ए–147 के चिकित्सीय दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि मृत्यु के पूर्व तुलसीराम का सेन्ट्रल हॉस्पिटल गोंदिया में लगातार उपचार किया जाता रहा है, तत्पश्चात तुलसीराम को आई चोटों के परिणाम स्वरूप उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हेा गई।

19. अतः वादप्रश्न क्रमांक **1** व **2** का निराकरण आवेदकगण के **पक्ष** में '' **प्रमाणित** '' के रूप में किया जाता है।

<u>वादप्रश्न क्र. 3 का निराकरणः–</u>

20. के आवेदकगण को दुर्घटना आवेदिका क्र.1 के पुत्र एवं शेष आवेदकगण के भाई नंदकिशोर की मृत्यु होने के कारण प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि का<u> आंकलन किया जाना है</u> और इसका आंकलन किये जाने हेतु प्रथमतः मृत्यु के समय मृतक की **आयु**, **मृत्यु पूर्व उपचार व्यय, आय** एवं **आश्रितों की संख्या** पर विचार किया जाना है।

21. आवेदकगण ने आवेदन पत्र में मृतक तुलसीराम की दुर्घटना के समय आयु 53 वर्ष लेख की गई है, लेकिन मृतक की आयु के संबंध में कोई विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय न्यायदृष्टांत **<u>महेन्द्र कुमार वि0 रामस्वरूप 2011(3) एम पी एल जे 310</u>** में अभिनिर्धारित किया गया है कि ''आयु के निर्धारण हेतु यदि कोई प्रमाणित दस्तावेज आवेदक प्रस्तुत नहीं करता है तब पी.एम.रिपोर्ट, एम एल सी रिपोर्ट या अन्य किसी दस्तावेज या

मौखिक साक्ष्य के आधार पर आयु का निर्धारण किया जा सकता।'' मृतक नंदकिशोर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श ए–8 में मृतक की आयु 55 वर्ष होना उल्लेखित है। अतः उक्त माननीय न्यायदृष्टांत के प्रकाश में शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श ए–8 में उल्लेखित आयु 55 वर्ष अनुसार यह तथ्य प्रमाणित होता है कि दुर्घटना के समय मृतक तुलसीराम की **उम्र 55 वर्ष** की थी।

22. मृतक तुलसीराम को उक्त दुर्घटना के परिणाम स्वरूप प्रथमतः आरोग्य हॉस्पिटल बालाघाट ले जाया गया, जहां से हायर सेन्टर ले जाने की सलाह पर उसे सेन्ट्रल ऑस्पिटल गोंदिया में उपचार हेतु भर्ती किया गया, जहां पर मृतक दिनांक 9.6.2020 से दिनांक 19.6.2020 तक उपचाररत रहा एवं उसकी उक्त दिनांक को ही मृत्यु कारित हो गई। उक्त अवधि में किये गये उपचार एवं तत्संबंध में हुए व्यय के बिल प्रदर्श ए–9 लगायत 152 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें सेन्ट्रल हॉस्पिटल गोंदिया का फाईनल बिल प्रदर्श ए– 135 भी समाहित है। मृतक के उपचार के दौरान आवेदकगण की ओर से समस्त बिलों की कुल राशि 2,68,194/–रूपये व्यय किये गये हैं। अतः आवेदकगण मृतक तुलसीराम के उपचार में व्यय की गई राशि 2,68,194/–रूपये प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

23. मृतक की आय के संबंध में उसके पुत्र काशीलाल (आ.सा.1) का कथन है कि उसका पिता कृषिकार्य एवं पशुपालन का कार्य करता था उससे उसे 9 हजार रूपये मासिक आय होती थी। तुसलसीराम की मृत्यु वर्ष 19.6. 2020 को दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है। वर्ष 2020 में शासन द्वारा अकुशल श्रमिक की प्रतिमाह आय भी 9000/–रूपये अभिनिर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में मृतक की मृत्यु के समय आय 9000/–रूपये माना जाना उचित होगा।

24. मृतक के काशीलाल (आ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी वर्तमान में आयु 32 वर्ष है तथा पिता की मृत्यु के समय उसकी आयु 28 वर्ष थी, वह स्वयं खेती किसानी का कार्य करता है तथा उसे खेती उसके पिता से प्राप्त हुई है। यह भी स्वीकार किया है कि उसकी बहन का विवाह उसके पिता की जीवित अवस्था में हो चुका है। मृतक के पुत्र काशीलाल की उक्त स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट होता है कि मृतक काशीलाल पर उसका 28 वर्षीय पुत्र आश्रित नहीं था तथा मृतक की पुत्री का विवाह हो चुका था। ऐसी स्थिति में प्रकरण के आवेदक क्र.2 व 3 को मृतक की आय पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता। <u>आवेदिका क्र. 1 मृतक की पत्नी होकर</u>

विधिक प्रतिनिधि है और मृतक पति की सम्पदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम है और मृतक की दुर्घटनात्मक मृत्यु के लिए अधिकरण द्वारा प्रदत्त मुआवजे की हकदार है। तत्संबंध में माननीय न्यायदृष्टांत **2009(1) ए सी सी डी 441(गौहाटी उच्च न्यायालय) श्रीमती हफीज्जुन बेगम वि0 सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व अन्य** में प्रतिपादित सिद्धांत अवलोकनीय है। अतः आवेदिका क्र.1 मृतक की पत्नी अधिकरण द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे के हकदार हैं।

25. मृतक विवाहित था और उसके परिवार में उसकी पत्नी एवं दो संताने थी, जिनमें से मृतक का पुत्र वयस्क होकर स्वयं का कृषि कार्य करता है तथा मृतक की पुत्री का विवाह मृतक के जीवन काल में ही हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदक क्र. 2 व 3 को मृतक पर आश्रित नहीं माना जा सकता, लेकिन मृतक की पत्नी आवेदिका क्र.1 का, मृतक पर आश्रित होना प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में मृतक द्वारा अर्जित कुल आय 9000/–रूपये प्रतिमाह में से 1/2 भाग स्वयं पर व्यय किया जाना तथा शेष भाग अर्थात 4500/–रूपये पर आश्रितता मानते हुए प्रतिकर का निर्धारण किया जाना न्यायसंगत होगा। माननीय न्यायदृष्टान्त **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी एवं अन्य 2017(4) एम ए सी डी 1375(एस सी) 5** में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार मृतक द्वारा अर्जित कुल वार्षिक आय– 9000/–X12माह =1,08,000/–रूपये के 1/2 भाग अर्थात 54,000/–रूपये पर वार्षिक आश्रित होना माना जायेगा। मृतक की वार्षिक आय के आधार पर निर्धारित आवेदिका क्र.1 की आश्रितता राशि 54,000/–रूपये में मृतक की आयु 55 वर्ष होने एवं मजदूरी का कार्य करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य की नुकसानी के मद में 10 प्रतिशत राशि अर्थात 5,400/–रूपये जोड़ा जाना उचित होगा। इस प्रकार मृतक की आश्रितता राशि 54000/– रूपये एवं भविष्य की नुकसानी के मद में 5400/–रूपये, इस तरह मृतक पर कुल वार्षिक आश्रितता राशि 59,400/–रूपये निर्धारित की जाती है। उपरोक्त न्याय दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार कुल आश्रितता राशि की गणना किये जाने हेतु मृतक की आयु **55 वर्ष** को दृष्टिगत रखते हुये **11** का गुणज प्रयोज्य होगा। अतः कुल आश्रितता राशि 59,400X11=6,53,400/–रूपये निर्धारित की जाती है।

26. इसके अतिरिक्त प्रकरण में आवेदक क्र. 1 मृतक की माता है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रणय सेठी एवं अन्य ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5157** एवं **मेगमा जनरल**

इंश्योरेंस कंपनी लिमि. विरूद्ध नानुराम (2018) 18 एस.सी.सी. 130 के प्रकाश में आवेदकगण को Spousal Filial and Parental consortium के लिये, एवं अंतिम संस्कार व संपदा की हानि की मद में राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत होता। अतः साहचर्य के मद में आवेदिका क्र.1 को 48,000/–रूपये, संम्पदा की हानि के मद में आवेदिका क्र.1 को 18,000/–रूपये तथा अंतिम संस्कार के मद में 18,000/–रूपये की राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

27. अतः उपरोक्तानुसार उपचार राशि 2,68,194/–रूपये, आश्रितता राशि के मद में 6,53,000/–, साहचर्य के मद में 48,000/–रूपये, सम्पदा की हानि के मद में 18,000/–रूपये एवं दाहसंस्कार के मद में 18,000/–रूपये, इस प्रकार **कुल क्षतिपूर्ति राशि 10,05,594/–रूपये (दस लाख पांच हजार पांच सौ चौरानबे रुपये)** बतौर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की है।

28. जहां तक आवेदिका क्र.1 को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी का संबंध है, वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 के निष्कर्ष में यह प्रमाणित हुआ है कि दुर्घटना दिनांक को वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 50 एम.डी. 1073 अनावेदक क्र.1 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की थी जिसे अनावेदक क्र. 2 द्वारा चलाया जा रहा था, जो कि बीमाकृत नहीं थी। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का दायित्व अनावेदक क्र.1 व 2 का संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक रहेगा।

29. अतः उपरोक्तानुसार वादप्रश्न क्र.**3** का निराकरण आवेदकगण के **पक्ष** में किया जाता है।

का वादप्रश्न क्रमांक 4 का निराकरण :–

30. उपरोक्त विवेचना के आधार आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 166 मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम स्वीकार कर आवेदकगण के पक्ष में निम्न अधिनिर्णय पारित किया जाता हैः–

1. आवेदिका क्र.1 अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक रूप से राशि **10,05,594/–रूपये (दस लाख पांच हजार पांच सौ चौरानबे रुपये)** प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने की हकदार हैं।

2. आवेदिका क्र.1 उक्त राशि पर आवेदन दिनांक से अदायगी दिनांक तक का **6** प्रतिशत (**छः प्रतिशत**) साधारण वार्षिक दर से ब्याज तथा याचिका व्यय के रूप में **1,000** रूपए की राशि अनावेदकगण संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक से प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

3. उक्त संपूर्ण प्रतिकर राशि जमा होने पर आवेदिका क्र.1 को 4,05,594/—रूपये एवं संपूर्ण ब्याज की राशि एकाउंट पेयी चैक के माध्यम से नगद भुगतान किये जावें। शेष राशि आवेदिका क्र. 1 के नाम से दो समान अंशों में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में क्रमशः 2 वर्ष एवं 4 वर्ष की अवधि के लिये सावधि जमा रखी जावे। सावधि जमा योजना की अवधि पूर्ण होने पर पुनः अधिकरण से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

31. उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

अधिनिर्णय खुले अधिकरण में हस्ताक्षरित,एवं दिनांकित कर पारित	मेरे निर्देशन में टंकित किया।
(श्रीमती कविता इवनाती) सदस्य द्वितीय अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वारासिवनी, जिला बालाघाट म.प्र.	**(श्रीमती कविता इवनाती)** सदस्य द्वितीय अति.मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण वारासिवनी, जिला बालाघाट म.प्र.

KAVITA EVANATI

Digitally signed by KAVITA EVANATI
Date: 2026.08.14 16:56:33 +0530